



अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है

देर से उठा एक और कदम

अलगाववादी, पाकिस्तानपरस्त और कश्मीरियत के साथ भारतीयता के बैरी हुर्रियत नेताओं से सुरक्षा एवं अन्य सरकारी सुविधाएं वापस लेने का फैसला एक सही कदम है, लेकिन सवाल यह है कि अलगाव के साथ आतंक के समर्थक इन तथाकथित कश्मीरी नेताओं को सुरक्षा दी ही क्यों गई थी? क्या यह विचार नहीं कि एक ओर देश के खिलाफ बयानबाजी या नारेबाजी करने अथवा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने पर तो देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने, मजहबूबी उन्माद फैलाने, पत्थरबाजों के गिरोहों को पालने और आतंकियों का गुणगान करने वाले हुर्रियत नेता बरसों से सरकारी सुरक्षा पर पल रहे थे। यह उदारता नहीं, एक तरह की नीतिगत जड़ता थी। हैरानी की बात है कि इसके पहले किसी ने यह क्यों नहीं सोचा कि कश्मीर के माहौल को विभाजन करने वाले इन तत्वों को सुरक्षा के साये में रखना एक प्रकार से सांपों को दूध पिलाना है? आखिर किस आधार पर इनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि ये कश्मीर समस्या के समाधान में सहायक बन सकते हैं? जैसे यह एक मृग मरीचिका थी वैसे ही यह भी कि कश्मीर को कुछ और अधिकार देकर वहां के नेताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। वास्तव में कश्मीर में सुरक्षा की आवश्यकता तो भारत समर्थक कश्मीरियों को है। चूंकि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद पनपा ही इसलिए कि उसे धारा 370 के तहत कहीं अधिक अधिकार प्राप्त हैं इसलिए यह सही समय है जब इस धारा को खत्म करने पर विचार किया जाना चाहिए। यह धारा कश्मीर घाटी और शेष भारत के बीच एक खाई की तरह है। इसीलिए कश्मीरियों का एक तबका खुद को भारत से अलग मानता है। इसी मान्यता ने घाटी में अलगाव के बीज बोए।

जैसे पाकिस्तान को दिए गए सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के दर्जे को वापस लेने में देर हुई वैसे ही अलगाववादी नेताओं से सुरक्षा वापस लेने में भी। बेहतर है धारा 370 खत्म करने में देर न की जाए। और भी बेहतर होगा कि इस संभावना को भी टटोला जाए कि क्या इस राज्य को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है? निःसंदेह आम कश्मीरियों की उचित मांगों पर नरमी दिखाई जानी चाहिए, लेकिन इसी के साथ यह भी समझा जाना चाहिए कि आबादी के असंतुलन ने वहां के हालात और बिगाड़े हैं। यह अच्छा नहीं हुआ कि बीते 55 महीनों में कश्मीरी पंडितों को उनके घरों में फिर से बसाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। यह पहल केवल इसलिए नाकाम नहीं हुई कि अलगाववादी बाधाक बन गए थे। यह इसलिए भी नाकाम हुई, क्योंकि पीछीपी और नेशनल काफ़्रेस सरीखे दल भी हुर्रियत जैसी भाषा बोलने लगे थे। साफ है कि कश्मीर में कुछ और कदम भी उठाने होंगे। इस क्रम में पत्थरबाजों के अन्य आकाओं पर भी सख्ती करनी होगी और यह ध्यान रखना होगा कि इन आकाओं में राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। चूंकि यह समय छिटपुट नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी को मुख्यधारा में लाने वाले निर्णायक फैसलों का है इसलिए उसी दिशा में तेजी से बढ़ना चाहिए।

उपनगर भी जुड़ें मेट्रो से

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार में थे। यह परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए आए थे। राज्य को सांगोंत दे गए। पटना के लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा, मेट्रो रेल। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राजधानी में गाड़ियों के लिए कामप्लेस्ट नेचुरल गैस (पीएनजी) और गुहणियों के लिए पाइपलाइन नेचुरल गैस (पीएनजी) का लोकार्पण किया। लंबे समय से इसका इंतजार था। मेट्रो का सीधा फायदा कुछ वर्षों बाद मिलेगा, लेकिन पीएनजी और सीएनजी सेवा अब शुरू हो गई है। धीरे-धीरे पूरे पटना तथा अन्य सभी शहरी क्षेत्रों में इसके विस्तार का रस्ता साफ हो गया है। हालांकि लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इन योजनाओं में और बदलाव आवश्यक है। जैसे पटना में पहले दिन सीएनजी की कीमत 63.47 रुपये प्रति किलोग्राम रही। यह कीमत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अधिक है। बिहार में सीएनजी पर 20 फीसद टैक्स है। सरकार इसे घटाए तो सीएनजी की कीमत और गिरेगी और लोग आकर्षित होंगे। लखनऊ में सीएनजी की कीमत करीब 53 रुपये, हैदराबाद में 52 रुपये, अहमदाबाद में 47 रुपये दिल्ली में करीब 44 रुपये प्रति किलोग्राम है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार पर सोच-विचार की जरूरत होगी। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था की बदहली एसी है कि लोगों को मेट्रो ट्रेन शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। इसकी लागत 13365.77 करोड़ रुपये है। फिनाहल दो कॉरिडोर के तहत इसकी लंबाई 31.39 किमी है। दरअसल पटना जैसे शहर के विकास में मेट्रो रेल की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता के लोग इसका पहले से आनंद ले रहे हैं। राज्य सरकार को दिल्ली और कोलकाता की तरह पटना मेट्रो रेल को उपनगों तक विकसित करने के बारे में विचार करना चाहिए। बिहटा, बिक्रम, नौबतपुर, फतुहा, बरखियापुर, हाजीपुर और सोनपुर जैसे कस्बे और शहर अगर मेट्रो के मार्फत सीधे पटना मुख्य शहर से जुड़ जाएं तो आम लोगों को बड़ी सहूलियत होगी।

जोश में न खोएं होश

कहते हैं कि 'बदला' वह डिश होती है, जिसे ठंडा परोसा जाना ही बेहतर होता है। इस समय पुलवामा आतंकी हमले के बाद पूरा देश बदले की आग में जल रहा है, जो देश भर में जगह-जगह देखने को मिल रहा है। अपना आक्रोश दिखाने के लिए लोग जगह-जगह सड़कों और रेल मार्गों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे यातायात भी बाधित हो रही है। जगह-जगह प्रदर्शन कर सिर्फ यही मांग की जा रही है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाना चाहिए। लोगों को गुस्सा भी जायज है, लेकिन पुलवामा का बदला न लोग लेंगे, न सरकार। हिंसा बराबर करेगी फौज। ऐसे में कहीं हम जोश में आकर सरकार को होश खोने पर मजबूर तो नहीं कर रहे हैं? वैसे भी पुलवामा आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए यह कह दिया है कि उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन यह सजा कब मिलेगी, कहां मिलेगी और कैसे मिलेगी, यह सब सेना तय करेगी।

गौरतलब है कि 18 सितंबर, 2016 को जम्मू-कश्मीर में सेना के उड़ी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। तब भी देशवासियों में एक आक्रोश

फिर से अगर बिना अपना नुकसान किए पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो जोश के साथ-साथ होश से काम लेना होगा

था कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जाए, लेकिन न तो सरकार ने जल्दबाजी की, न ही सेना ने। दोनों ने साथ मिलकर एक रणनीति बनाई और 29 सितंबर, 2016 की रात को सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की और बहुत सारे आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। इस ऑपरेशन की सबसे अच्छी बात यह थी कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले किसी भी कमांडो को एक खरोंच तक नहीं आई, जबकि पाकिस्तान में पनाह पाए बहुत सारे आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। उम्मीद है कि जिस तरह तब होश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ठीक उसी तरह इस बार भी सेना पूरे होश में रणनीति बनाएगी और पाकिस्तान को सबक सिखाएगी।



शंकर शरण

याद करें कि पाकिस्तान एक विचार से बना था। विचार को हथियार से कभी नहीं हरया जा सकता। उसे केवल बेहतर विचार से ही परास्त किया जा सकता है

पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सेना, हथियार, कथित सर्जिकल स्ट्राइक आदि से हराने की सोच एक भूल है। याद करें कि पाकिस्तान एक विचार से बना था। विचार को हथियार से कभी नहीं हरया जा सकता। उसे केवल बेहतर विचार से ही हरया जा सकता है। बेहतर विचार सदैव कर्णाग्रिय नहीं होते। सत्य मधुर भी होता है, कटु भी। यह ध्यान न रखना भी एक भूल है जो गांधी जी से लेकर आज तक बदस्तूर जारी है। सभी समस्याओं के समाधान के लिए 'अहिंसा' से लेकर 'विकार' की दलीलें कुछ वैसे ही हैं। पहले हम सच का सामना करना सीखें। अन्यथा परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद हम सोवियत संघ की तरह धराशाही हो सकते हैं। प्रसिद्ध पत्रकार राहुल माथुर ने लिखा था कि भारत में एक पाकिस्तान और पाकिस्तान में एक भारत सदैव बसा है। यह गंधी सत्य है। भारत की पाकिस्तान समस्या तथा पाकिस्तान की भारत समस्या, दोनों 'वैदेशिक' नहीं, आंतरिक समस्याएं हैं। लिहाजा जब दो देशों के रूप में विचार करना ही आमक है। हम 1947 से जकर दो (तीन) देश हैं, किंतु यह अस्थायी है। अंतर्राज्यों वषों के इतिहास में सतर साल कुछ भी नहीं। इसलिए तीनों राज्य भारत-भूमि हैं जहां विराट सभ्यता-संघर्ष चल रहा है। इसका परिणाम वैश्विक महत्व का होगा। अलग अलग तंत्र पक्षों की समझ, नासमझ, संदेह, हिंसक प्रकृति वही है जो अतीत में बार-बार दिखाई है। स्वतंत्रता पूर्व जो भूमिकाएं मुस्लिम लीग, कांग्रेस और

ब्रिटिश सत्ता के माध्यम से दिखती थीं, कमोवेश वही तब से भिन्न-भिन्न रूपों में जारी हैं। मालदा से लेकर मुंबई और श्रीनगर से लेकर गोधरा तक वही कारनामे देश के भीतर भी लोग अंजाम देते रहे हैं। दुर्भाग्यवश हमने इस सभ्यता संघर्ष को नहीं पहचाना तो उससे निपटने की तैयारी भी नहीं की। पहले स्वतंत्रता संघर्ष में मुस्लिम भागीदारी के लिए कांग्रेस के विफल प्रयासों और बाद में पाकिस्तान से मैत्री के भारतीय प्रयासों में भारी समानता है। समस्या की पहचान, उन पर उचित विमर्श, फिर नीति तय करना न गांधी जी के समय था, न आज है। गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व इस समस्या पर सदैव तात्कालिकता से प्रस्त रहे। एक ही समस्या बार-बार नए रूप में आती थी। फिर भी उसका आमूल अध्ययन नहीं किया गया। हमेशा किसी तरह तात्कालिक संकट से छुटकारा पाने तथा मूल समस्या से मुंह फेरने की प्रवृत्ति ही रही। श्रीअरविंद जैसे मनीषी विरले थे जिन्होंने समस्या को आंख मिलाकर देखा और सही समाधान बताया, पर ऐसे स्वयं को जानबूझकर अनुसूना किया जाता था। हमेशा कोई 'वाता' या किसी अन्य उपक्रम के माध्यम से अस्थायी शांति स्थापना का शॉर्टकट हमारी स्थाई कमजोरी रहे। यह आसान उपाय की लालसा थी। यह लड़ने से नहीं, सच्चाई से बचने की भीरुता थी जो आज भी स्थावत है। मुस्लिम लीग को अनुचित मांगें स्वीकार कर 'एकता' की चाह जितनी दयनीय थी, उससे अधिक समस्या को और बिगाड़ने वाली



थी। गांधी जी भी इसे देख नहीं पाए। 1916 के लखनऊ पैंक्ट से लेकर 2015 के लाहौर चाय-पकौड़ा तक, 'समाधान' कर लेने की वह दुराशा कभी न बदली। इसीलिए जो दृश्य पहले था, वही एक भयंकर विभाजन, अंतहीन दंगों, आतंकी हमलों के बाद भी रूप बदल कर निरंतर चल रहा है। समस्या को किसी पाकिस्तानी नेता के साथ 'वाता' के बाद कोरी शब्दिक उपलब्धि की संतुष्टि के रोग से भारत प्रस्त है। अनगिनत विश्वासघात, आक्रमण और विफलता झेलकर भी पुनः उसी लीक के सिवा कुछ नहीं सोच पाता, क्योंकि समस्या के मूल, वैचारिक, सभ्यतागत संघर्ष की अनदेखी करता है। यह संघर्ष किन्हीं विदेशी लोगों से नहीं, बल्कि हिंदू सभ्यता के प्रति स्थाई बैर रखने वाले एक विदेशी, साम्राज्यवादी, अधम मतवाद से है। वह हमारे ही लोगों को मतांतरित कर हमसे लड़ना रहा है। यहाँ सारे मुसलमान पूर्ववर्ती हिंदू ही हैं-वह तो गांधी जी से लेकर फारूख अदुल्ला तक बोलते रहे हैं। मगर इसका मतलब क्या है? इसके उत्तर में ही समस्या का समाधान है। इसका उपाय हथियारों में नहीं है। बल्कि दुश्मन तो चाहता ही है कि वह सैन्य लड़ाई चलती रहे। वही उसके

लिए अच्छा है, क्योंकि वह इसके सिवा कुछ नहीं जानता। अन्य पैमानों पर वह एकदम खोखला है। इसे देखने के बदले हम भारत-पाकिस्तान, कांग्रेस-मुस्लिम लीग या हिंदू-मुस्लिम प्रसंग की सभी बातों, बड़े-बड़े ऐतिहासिक तथ्यों तक को छिपाते रहे हैं। ऐसी एकतरफा संसरशिप ने हमें अंधेरे में रखा जिसका पीढ़ीगत खापिजाक हमें हमारे विरुद्ध मुस्लिम-लीग काई इस्तेमाल भी पुनः उसी लीक के सिवा कुछ नहीं सोच पाता, क्योंकि समस्या के मूल, वैचारिक, सभ्यतागत संघर्ष की अनदेखी करता है। यह संघर्ष किन्हीं विदेशी लोगों से नहीं, बल्कि हिंदू सभ्यता के प्रति स्थाई बैर रखने वाले एक विदेशी, साम्राज्यवादी, अधम मतवाद से है। वह हमारे ही लोगों को मतांतरित कर हमसे लड़ना रहा है। यहाँ सारे मुसलमान पूर्ववर्ती हिंदू ही हैं-वह तो गांधी जी से लेकर फारूख अदुल्ला तक बोलते रहे हैं। मगर इसका मतलब क्या है? इसके उत्तर में ही समस्या का समाधान है। इसका उपाय हथियारों में नहीं है। बल्कि दुश्मन तो चाहता ही है कि वह सैन्य लड़ाई चलती रहे। वही उसके

मतवादा का शरीर मात्र है। तभी वह सामान्य देश जैसा आचरण नहीं करता। उसे भारत को तोड़ना है, वरना वह स्वयं टूटेंगा। वही विडंबना भारत की भी है। यदि वह इस्लाम को हराकर, कृत्रिम विभाजन खत्मकर पुनः भारतवर्ष की पुनर्स्थापना का लक्ष्य नहीं रखता तो यह और खंडित होगा। आजादी के बाद से असंख्य घटनाओं ने इसकी पुष्टि ही की है। सिमी, इंडियन मुजाहिदीन और हुर्रियत जैसे तमाम संगठन जिस काम में लगे हैं उसे हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। यह उस सभ्यतागत वैचारिक संघर्ष से बचने की चाह है, पर जिस दिन हम इसका सामना करना शुरू दर देंगे उसी दिन से हमारी स्थाई जीत आरंभ होगी। यह खुलकर कहना पूर्णतः अहिंसक, किंतु वैचारिक आक्रमण है कि जिस मतवादा से पाकिस्तान बना था, उसमें कभी कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। उसने आज तक अंतहीन मारकाट, गुलामी, तबाही और अशांति के सिवा कुछ नहीं दिया है। इस कटु सत्य को पोप बनेडिक्ट कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं जो इसे सदियों से झेल रहे हैं? अभी तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए और अपने धर्म और उत्तरदायित्व को नहीं समझे हैं। इसीलिए वह भीरुता और भ्रम है। यह मूलतः वैचारिक, अर्सेनिक, नितांत अहिंसक युद्ध है। जितना पाकिस्तान से, उतना ही अंदर भी इसे लड़ना होगा। रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रूप से लड़ना होगा। यह शुद्ध मतवादा के पैरों तले जमीन खिसकाने की लड़ाई है। इसमें उसकी हार अवश्यंभावी है। केवल इसे सफल करने में हमें अपनी हिचक दूर करनी होगी। इससे कतराना न धम है, न लाभकारी। यह सत्यनिष्ठा, स्वाभिमान, मानोवल और चरित्र का युद्ध है। अस्व-शस्त्र या क्यूटीनिति उसके बाद आते हैं। यह समझकर इस युद्ध को सरलता से जीत सकते हैं। इसमें हथियारबंद सैनिकों की जरूरत नगण्य है। (लेखक राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक एवं स्तंभकार हैं) response@jagran.com



ऊर्जा

आदर्श

आदर्शवादिता की बात करने वाले लोगों की वर्तमान समय में कोई कमी नहीं है। लोग आदर्शों एवं सिद्धांतों का जोर-शोर से समर्थन तो करते हैं, परंतु अपने सामान्य जीवन में आदर्शों पर अमल नहीं करते। आज व्यक्तिगत जीव-दुर्गुणों से लेकर सामाजिक कुुरीतियों तक के आगे घुटने टेक देने के संदर्भ में आदर्श और व्यवहार के मध्य में एक खाई उत्पन्न हो रही है। उसी तरह जैसे कलने की बात कोई दूसरी होती है और करने की दूसरी, जबकि आदर्श जीवन में उतारने के लिए होते हैं। कल जा सकता है कि आदर्शों को मान्यता उतम जीवन जीने के लिए प्रदान की गई है और उनमें ही जीवन की सार्थकता खोजी जाती है। आदर्श व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को सुख-शांति प्रदान करने के लिए ही स्थापित किए जाते हैं।

इस संदर्भ में सवाल उठता है कि हम आदर्शों की प्रवृत्तिका क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए, क्योंकि हम समझते हैं कि आदर्श जीवन को बोझिल और कष्टकारी बनाते हैं। जीवन को मधुर बनाने के लिए हम आदर्शों को एक करने में डालकर उस पुण्यधाम में कृष्ण-कबाड़ एकत्रित करते रहते हैं। सत्य, न्याय, त्याग, प्रेम, पवित्रता, उदारता, सहिष्णुता, करुणा और क्षमा जैसे आदर्शों से जीवन आनंदपूर्ण बनता है। इन आदर्शों को अपनाने वाला व्यक्ति अपनी चेतना में आनंद और शांति की ऐसी धारा प्रवाहित करता है जिसमें नहकर अन्य लोग भी प्रफुल्लित हो उठते हैं। इसके विपरीत असत्य, अन्याय, स्वार्थ, मलिनाता, कृपाणाता, आदेश, क्रूरता और प्रतिशोध की भावनाएं न जीने-जागने देती हैं और न अपने चैन लेने देती हैं। आदर्शों के लिए हमारे मनीषियों ने एक शब्द खोजा है-जीवन मूल्य यानी जीवन ही जिसका मूल्य है। मनुष्य को सबसे बड़कर जीवन ही प्रिय है। चाहे करोड़ों रुपये हों, परंतु जीवन संकट में पड़ा हो तो उसे बचाने के लिए समस्त संपत्ति खोने के लिए भी मनुष्य तैयार हो जाता है। धन-संपत्ति ही नहीं, विद्या, अधिकार, ज्ञान, परिवार, पत्नी, बच्चे और समाज आदि सब कुछ जीवन की तुलना में गौण लगते हैं और यह विस्मय कर देने वाली बात है कि जिस जीवन की तुलना में सब कुछ लुच्छ है, वह जीवन आदर्शों के लिए बलि चढ़ा देना प्रशंसनीय समझा गया है। वही है हमारी आदर्शों की पराक्राण्ट। डॉ. विजयप्रकाश त्रिपाठी

कायापलट की राह पर रेलवे

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दुनिया भर में लोहा मनवाने वाले भारत में रेलगाड़ियों की रफ्तार बाबा आदम के जमाने की है। भारतीय रेलवे को सुस्त चाल से यह दुनिया भर में चलने वाली तेज रफ्तार रेलगाड़ियों की तुलना की जाए तो भारतीय रेल 100 साल पीछे नजर आएगी। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने रेलवे के कायापलट को प्राथमिकता दी। पिछले साढ़े चार वर्षों में रेल संबंधी आधारभूत ढांचा मजबूत करने, पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइन बिल्काने, रेल लाइनों के दोहरीकरण-विद्युतीकरण,रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुविधाओं की बढ़ोतरी जैसे हर स्तर पर काम हुए हैं।

ढांचागत मजबूती के साथ-साथ सरकार रेलगाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ा रही है ताकि रेलवे को तस्वीर बदली जा सके। गतिमान एक्सप्रेस के कामयाब परिचालन और मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारियों के बीच रेलवे ने वाराणसी और दिल्ली के बीच सेमी हईस्पीड ट्रेन-18 चलाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस नामक यह इंजन रहित ट्रेन दोनों शहरों के बीच की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। इसकी रफ्तार इस मार्ग पर चलने वाली सबसे तेज गाड़ी से डेढ़ गुना ज्यादा है। यदि पटरियों और सिग्नल प्रणाली का साथ मिले तो यह ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। कई देशों ने इस ट्रेन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसका कारण है कि टी-18 जैसी मानक वाली ट्रेनों की कीमत दुनिया भर में करीब 250 करोड़ रुपये है, जबकि भारत ने इसे महज 100 करोड़ रुपये की लागत से रिफाई समर्थ में तैयार कर लिया। इस प्रकार ट्रेन-18 रेलवे की रफ्तार के साथ-साथ निर्यात बढ़ाने का सशक्त जरिया बनकर उभरेगी। गौरतलब है कि दुनिया भर में रोलिंग स्टॉक बाजार 200 अरब डॉलर का है। यह हैरानी की बात है कि इस ट्रेन के संचालन में थोड़ी बाधा आने पर कई लोगों ने नजर कटाने में तैयारी की है। इससे यही पता चलता है कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। आखिर किस नए काम में छिटपुट समस्याएं नहीं आती? इन शुरुआती समस्याओं का हल मतलब नहीं है कि रेलवे के कायाकल्प की कोशिश रही दिशा में नहीं हो रही है।

रेलवे 2022 से पहले मौजूदा राजधानी-शताब्दी ट्रेनों की जगह सेमी हईस्पीड ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए 10,000 किलोमीटर नया हईस्पीड कॉरिडोर बन रहा है जहां 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने 2022 तक सभी लंबी दूरी की गाड़ियों की रफ्तार में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। यात्री गाड़ियों के



वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे की रफ्तार के साथ-साथ निर्यात बढ़ाने का सशक्त जरिया बनकर उभरेगी

साथ-साथ मालगाड़ियों की औसत रफ्तार को भी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। रेल परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सरकार ने रेलवे में निवेश को तीव्र गुना बढ़ाया है। रेलवे की रफ्तार बढ़ाने के लिए मोदी सरकार रेलवे संबंधी आधारभूत ढांचे पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। 2022 तक सभी ब्रॉड गेज रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। अभी 46 प्रतिशत रूट विद्युतीकृत हैं। 20,000 किलोमीटर रूट पर काम चल रहा है, जिसके पूरा होने पर 78 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो जाएगा। कैबिनेट ने बाकी रहे 13,675 किलोमीटर रूट के विद्युतीकरण को भी मंजूरी दे दी है। इससे न केवल रेल लाइनों की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में भी कमी आएगी जिससे दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत होगी। पिछले साढ़े चार वर्षों में रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ-साथ ऊर्जा एवं ईंधन की बचत के अनूठे उपाय भी किए गए हैं। रेलवे के सभी कार्यालयों और डिपो में 100 प्रतिशत एलईडी बल्ब लगाए गए हैं। 2020-21 तक सभी रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्लॉट लगाए जा चुके हैं। भारतीय रेलवे ने विश्व की पहली सौर ऊर्जा आधारित ट्रेन चलाने का कीर्तिमान बनाया है। एक समय रेल हादसों का प्रमुख कारण रही मानवव्रहित रेलवे क्रासिंग को पूरी तरह खत्म कर

दिया गया है। देश की विशाल भौगोलिक दूरियों और तेज विकास की जरूरतों को देखा जाए तो हईस्पीड ट्रेन वक्त की मांग है। गौरतलब है कि देश की धमनी मानी जाने वाली रेल बदलती अर्थव्यवस्था के साथ कदमताल नहीं कर पाई है। यह अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। रेलगाड़ियों की तादाद भले ही बढ़ी, लेकिन उनकी रफ्तार घटती गई। भारतीय रेल की सुस्त रफ्तार की एक बड़ी वजह यह रही कि यहां रफ्तार के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। दुर्भाग्यवश यह नीति कारगर नहीं रही। इसका कारण यह रहा कि तकनीक के स्तर पर भारतीय रेल में पिछले 50 वर्षों में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसके लिए रेलवे की पुनर्संरचना या रिस्ट्रक्चरिंग के प्रति पूर्ववर्ती सरकारों का निरुत्साही रवैया जिम्मेदार है। यहाँ पड़ोसी देश चीन का उल्लेख प्रासंगिक होगा जिसने अपने यहाँ पूरी रेलवे का कायापलट ही कर दिया। चीन में दो शहरों के बीच 1000 किलोमीटर की दूरी को रेल के जरिये पूरा करने में ढाई से तीन घंटे का समय लगता है। इतना ही नहीं चीन में सबसे कम गति वाली गाड़ियां भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। वहाँ हईस्पीड गाड़ियों ने काफी बढ़ तग पुरानी रेलवे लाइनों के यात्री बोझ को घटा दिया है। अब पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जा रहा है। इस तरह माल ढुलाई कम दाम पर और सड़क के मुकाबले कम वक्त में ही रही है। इसी प्रकार की रिस्ट्रक्चरिंग का काम यूरोपीय देशों में भी चल रहा है। भारतीय रेलवे की बदहली का दूसरा चरण 1990 के दशक में गठबंधन सरकारों के दौर में शुरू हुआ। इस दौरान सहयोगी दलों से बनने वाले रेल मंत्रियों ने वोट बैंक के चक्कर में रेलवे में दुरगामी सुधार की घोर उपेक्षा की। रेलवे को अपने मनमुटाविक चलाने वाले रेल मंत्रियों ने यात्री किरायों में घाटे की भरपाई माला भाड़ा से करने की गलत परिपट्टी शुरू कर दी। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे 'क्रॉस सब्सिडी' कहा जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में माल भाड़ा तेजी से बढ़ा और माल ढुलाई के काम का एक हिस्सा रेलवे के हाथों से निकलकर ट्रक कारोबारियों के पास जाने लगा। दूसरी ओर एक ही छेद के लिए गाड़ियों की तादाद बढ़ने से यात्री गाड़ियों की रफ्तार घटी। इसका नतीजा यह हुआ कि हिस्सेदारी के साथ-साथ यात्री परिवहन में भी रेलवे की हिस्सेदारी कम होती गई। यही कारण है कि 100 करोड़ ग्राहकों और 100 फीसद अग्रिम बुकिंग के बावजूद रेलवे तंगी से जूझ रही है। (लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं) response@jagran.com

मेलवारस

वड़ी वाधा है धारा 370

दिनांक 17 फरवरी के अंक में संजय गुल का लेख, धारा 370 खत्म करने का सही समय, पढ़ा। यह बात शत प्रतिशत सही है कि कश्मीरवासियों में यह भावना पैदा करनी होगी कि वह कोई अलग राज्य नहीं, बल्कि भारत का अविभंग अंग है। धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद है जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य को संपूर्ण भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्राप्त हैं। देश को आजादी मिलने के बाद से लेकर अब तक यह धारा भारतीय राजनीति में बहुत विवादित रही है। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। जम्मू-कश्मीर के मामले में यह अस्थायी उपबंधक है। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की वजह से उस राज्य के विकास के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन तक सार्थक पहुंच संभव नहीं हो पाती। यह कश्मीरियों में खुद को भारत से अलग होने की भावना प्रबल करता है। यही भावना उन्हें अलगाववाद की ओर प्रेरित करती है। इसी भावना का लाभ उठाकर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन उन्हें बहला कर अपने आतंकी मुसूबों को अंजाम देते हैं। एफओ अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह स्थाई नागरिक की परिभाषा तय कर सके। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 35ए को 14 मई, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जगह मिली थी। जम्मू-कश्मीर का संविधान 1956 में बनाया गया था। इस संविधान के मुताबिक

स्थाई नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई, 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो। अपनेपन की भावना सुदृढ़ करने के लिए जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह मान्यता देनी होगी। शुभेंद्र सिंह, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली

अब और वार्ता नहीं

पुलवामा घटना के बाद जब पूरे देश में आक्रोश है तब नजोत सिंह सिद्धू सहित कई लोग वार्ता के पक्षधर हैं। लेकिन शांति के प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब दोनों ओर इसकी प्रतिबद्धता हो। ताली दोनों हाथ से ही बजती है। ताराकंद, शिमला, लाहौर आगरा आदि अनेक अवसर विफल हो गए। क्योंकि उन समझौतों की तृष्णई भले ही हम दे रहे हैं, लेकिन दूसरे की निगाहों में वह हमारी कमजोरी मात्र रही। दुर्घुंधन की जिद के बाद महाभारत निर्यात थी। इंदिराजी ने कम प्रयास नहीं किए, लेकिन 1971 हुआ। अतएव अब सौ सुनार की जगह एक लोहार की नितांत आवश्यकता है। solidkingz@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं : अपने पत्र इस पते पर भेजें : दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा ई-मेल : mailbox@jagran.com